

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा भीलवाडा

क्रमांक :- जिशिअभी/मुमाशि/संस्था-2/2023/ 573

दिनांक 05.10.2023

:: नियुक्ति आदेश ::

“सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय संविदा भर्ती, 2023” के अन्तर्गत निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/म.गां.अनु./प्रभाग-ब/अंग्रेजी माध्यम/संविदा भर्ती/66174/2022/ दिनांक: 28.06.2023/18.07.2023 एवं दिनांक 05.10.2023 के क्रम में संलग्न सूची (परिशिष्ट-क) अनुसार अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम पद के लिए किए गए आवेदन के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि इनको राजस्थान सिविल पदों पर रखा जाना, नियम, 2022 के अधीन उक्त पद के लिए चयनित किया गया है।

अतः वह इसके द्वारा सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम रूप में संविदा पर 01 (एक) वर्ष की कालावधि के लिए अर्थात् 05.10.2024 तक (तारीख), निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर संलग्न सूची के कॉलम संख्या-17 में उल्लिखित महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्त किया जाता है :-

1. रुपये 16,900/- (अंकों में) सोलह हजार नौ सौ मात्र (शब्दों में) प्रतिमाह का संविदा पारिश्रमिक। उपरोक्त के अतिरिक्त, वह निम्नलिखित के लिए भी हकदार होगा/होगी :-
(क) मेडिकलेम पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो रुपये 1500/- प्रति वर्ष से अधिक न हो।
(ख) समेकित मूल वेतन के अधिकतम 10% के अध्यधीन रहते हुए, नयी अभिदाय पेंशन स्कीम में स्वयं के द्वारा निक्षेपित 50% के अभिदान का पुनर्भरण।
(ग) दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो 500/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो।
2. निबंधन और शर्तें तथा अन्य मामले जैसे छुट्टी आदि राजस्थान सिविल पद पर संविदा पर रखे जाना, नियम, 2022 के उपबंधों के अनुसार शासित होंगे।
3. ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए, यात्रा और दैनिक भत्ता उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के अधीन संविदात्मक वेतन पर आधारित कर्मचारियों के प्रवर्ग पर लागू होता है।
4. पद ग्रहण से पूर्व उसके द्वारा दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो 6 माह के भीतर-भीतर जारी किए गये हो।
5. नियुक्ति पद ग्रहण से पूर्व चिकित्सा बोर्ड/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किये गये चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन रहते हुए की जायेगी।
6. कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ शैक्षिक अर्हताएं, जाति या, यथास्थिति, पूर्व अनुभव से संबंधित अधिप्रमाणित प्रतियां, प्रमाण पत्र सहित मूल प्रस्तुत किये जायेंगे।
7. संविदात्मक नियुक्ति की कालावधि के दौरान वह कोई अन्य समनुदेशन नहीं लेगा/लेगी।
8. संविदात्मक नियुक्ति दिनांक 05.10.2024 को समाप्त की जाती है। नियुक्ति की कालावधि के दौरान, वह तीन माह का नोटिस देकर पद त्याग कर सकेगा/सकेगी।

नियुक्ति प्राधिकारी भी उसकी नियुक्ति, तीन माह का नोटिस या उसका वेतन देकर समाप्त करने में सक्षम है।

Signature valid

Digitally signed by Mahaveer Kumar
Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 15:47:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4851471



9. यदि उपरोक्त निबंधन और शर्तें प्रतिगाह्य है तो वह अधोहस्ताक्षरी को 16.10.2023 (पन्द्रह दिन से अनधिक) से पूर्व ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर सकेगा/सकेगी। उक्त दिनांक तक ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा।

इस कालावधि के अवसान के पश्चात् नियुक्ति आदेश रद्द हो जायेगा।

संलग्न :- नियुक्त अभ्यर्थियों की सूची - 1 (परिशिष्ट-क)।

(डॉ. महावीर कुमार शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा
दिनांक 05.10.2023

क्रमांक :- जिशिअभी/मुमाशि/संस्था-2/2023/ 573

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, भीलवाडा।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, भीलवाडा।
10. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शाहपुरा।
11. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, भीलवाडा।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा,.....जिला भीलवाडा।
13. संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान।
14. संबंधित अभ्यर्थी को पालनार्थ।
15. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा

Signature valid

Digitally signed by Mahaveer Kumar
Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 15:47:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4851471



परिशिष्ट -क

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा

क्रमांक :- जिशिअभी/मुमाशि/संस्था-2/2023/ 573

दिनांक 05.10.2023

राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम, 2022 अन्तर्गत " सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम व सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय संविदा भर्ती, 2023" के तहत सहायक अध्यापक लेवल-प्रथम पद पर नियुक्त संविदा कार्मिकों की सूची :-

SR.N O.	MERIT NO.	Application_No	TSP/ NTSP	Candidate_Name (श्री/श्रीमती/कुमारी)	पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री	निवासी	ग्राम	तहसील	जिला	राज्य	DOB	GENDER	OWN_ CATE	SEL CATE	Spl.Cate	आवष्टित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2214	202327069375	NTSP	SHWETA PAREEK	SHANKER LAL PAREEK	BALAJI MANDIR KE PASS	Jaliya	Mandalgarh	BHILWARA	Rajasthan	22-09-1992	Female	GENERAL EWS	GENF	-	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL NAI ABADI BIGOD (475373)

(डॉ. महावीर कुमार शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा

Signature valid

Digitally signed by Mahaveer Kumar
Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 13:47:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4851471



संबंधित संस्थाप्रधान

राउमावि/राबाउमावि.....

(महात्मा गांधी राज.विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम))

अति-आवश्यक

कार्यग्रहण से पूर्व निर्देश

विषय:- सहायक अध्यापक लेवल-प्रथम व सहायक अध्यापक लेवल-द्वितीय
संविदा भर्ती 2023 के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की संविदा पर
नियुक्ति एवं पदस्थापन पश्चात कार्यग्रहण कराने के संबंध में ।

:-:-:-:-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश शिविरा-माध्य/संस्था/मं.गा.अनु./प्रभाग-ब/अंग्रेजी माध्यम/संविदा भर्ती /66174/2022 दिनांक 23.07.2023 में गैर अनुसूचित क्षेत्र में चयनित अभ्यर्थी सहायक अध्यापक लेवल- प्रथम एवं सहायक अध्यापक लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/विज्ञान-गणित) के काउंसलिंग पश्चात कार्यालय के जारी नियुक्ति आदेश के क्रम में संबंधित अभ्यर्थी के आपके विद्यालय में कार्यग्रहण पर उपस्थित होने पर कार्यग्रहण से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित करावें :-

1. संबंधित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे । यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाई जाए तो उनके विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें । किसी भी अभ्यर्थी को पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने अथवा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो संबंधित संस्थाप्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी ।
2. संबंधित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक -एफ 7(1) डीओपी/ए-आ/95 दिनांक 08.04.2003 तथा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों की फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी शपथ पत्र 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे ।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/-रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे ।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प.7 (3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी बचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे ।
5. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 7(13)कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जान सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर व्यक्तिगत पंजिका में संकलित किया जावे ।
6. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे ।
7. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/-रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता एवं प्रमाण पत्र वैध व मान्य नहीं पाये गये तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी एवं कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में तत्काल निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

Signature valid

Digitally signed by Mahaveer Kumar Sharma

Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.05 14:46:58 IST
Reason: Approved



8. नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व निम्नांकित प्रमाण पत्र व शपथ पत्र भी चयनित अभ्यर्थियों से आवश्यक रूप से प्राप्त किए जावें :-
 4. शपथ पत्र – निर्धारित संलग्न प्रपत्र – 01, 02 में से जो भी लागू हो प्राप्त करना है ।
 5. शपथ पत्र – उक्त संविदा भर्ती, 2023 अन्तर्गत मेरे द्वारा (विधवा/विवाह विच्छन्न-परित्यक्ता श्रेणी)..... से ऑनलाईन आवेदन क्रमांक भरा है, मेरे द्वारा आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किया गया है ।
 6. शपथ पत्र – उक्त संविदा भर्ती 2023 अन्तर्गत मेरे द्वारा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी हेतु ऑनलाईन आवेदन क्रमांक भरा गया तथा मेरा इस श्रेणी हेतु चयन हुआ है । मेरे द्वारा पूर्व में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं किया गया है ।
9. नियुक्ति पर कार्यग्रहण उपरान्त प्रत्येक संविदा कार्मिक के लिए पृथक-पृथक व्यक्तिगत पंजिका संधारित की जावे, जिसमें संविदा कर्मी के संबंध में जारी किए गए समस्त आदेश/निर्देश सुरक्षित रखे जावें ।
10. संबंधित अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग हेतु प्रस्तुत वरियता संबंधी शपथ पत्र/प्रमाण पत्र (विधवा/परित्यक्ता/दिव्यांग/अविवाहित/पति-पत्नी राज्य सेवा में होने संबंधी प्रमाण पत्र) प्राप्त किया जावें ।
11. कार्यालय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश एवं निर्देशालय बीकानेर के पत्र दिनांक 23.07.2023 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें ।
12. संबंधित अभ्यर्थी से कार्यालय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश पर पार्वती (हस्ताक्षर) प्राप्त कर विद्यालय रेकार्ड में रखना सुनिश्चित करावें ।
13. आपके ब्लॉक सीबीईओ कार्यालय से संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्रावली प्राप्त करना सुनिश्चित करावें ।
14. काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सूची पृथक रूप से संलग्न की गई है । जिन संस्थाओं में इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है उनके दस्तावेज का परीक्षण स्थानीय कार्यालय स्तर पर नहीं किये जाने के कारण अति ग्रहनता से किया जावें । इस संबंध में निदेशालय के पत्र दिनांक 23.07.2023 की पालना की जावें ।
15. जिन अभ्यर्थियों की डिग्री राजस्थान राज्य से बाहर की है उन्हें कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें । इस हेतु सहायक अध्यापक लेवल-प्रथम के लिये कक्षा-12 एवं बीएसटीसी एवं सहायक अध्यापक लेवल-द्वितीय के लिये स्नातक एवं बीएड डिग्री को आधार मान कर उक्त कार्यवाही सुनिश्चित करावें ।
16. कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण हेतु अन्तिम दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं करने की सूचना मय संबंधित अभ्यर्थी के मूल आवेदन पत्रावली पुनः इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करावें ।

(डॉ. महावीर कुमार शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर ।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा ।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी..... जिला भीलवाड़ा को भेज कर निवेदन है कि आपके ब्लॉक में लगाये गये संविदा अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित संस्थाप्रधान को उक्त निर्देशों की पालना अक्षरशः करने हेतु पाबन्द करावें साथ ही स्थानीय कार्यालय से आपके ब्लॉक में लगाये गये अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्रावली दिनांक 07.10.2023 को प्राप्त कर संबंधित विद्यालयों में भिजवाते हुए पार्वती प्राप्त करना सुनिश्चित करावें ।

Signature valid

Digitally signed by Mahaveer Kumar Sharma जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
Designation: District Education Officer
Date: 2023.10.05 15:46:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4851475

